

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

सुभाषचन्द्र बनाम मोहनलाल वगैरे

मुकदमा-प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर

08/2025
न्यायालय की मुद्रा
पुस्तक की नकल
में जारी हुई

प्राप्त हुआ

हुकम या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज

29.01.2025

प्रार्थी की ओर से श्री सरदार सिंह चौधरी एडवोकेट उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दर्ज रजिस्टर किया जावे। वकील प्रार्थीया के निवेदन पर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस मय नकलें साधारण तरीके से एंव रजिस्टर्ड डाक मय लिफाफे/स्पीड पोस्ट के जारी की जावे। पत्रावली वास्ते देखने तामिल दिनांक 30.01.2025 को पेश हो।

(अनिल कुमार)

सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

30-01-25

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उमर पक्षकारान् उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में हैं। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 20-02-25 को पेश हो।

20-2-25

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उमर पक्षकारान् उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में हैं। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 27-2-25 को पेश हो।

उपेक्ष

27-2-25

पत्रावली पेश हुमी। तडील प्राणी अनुपस्थित। प्रकरण में कोई समाप्ति तब रुक-रुक नार-2 आवाज। तडील प्राणी जमी। तडील प्राणी में से कोई हाजिर न्यायालय नहीं आये हैं; अतः तडील प्राणीगण डी अनुपस्थित में प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा (अनुच्छेद 212 राजस्मान इस्तेमाली मादीकियम) डी अउम चैरवी

राजगार

शुभाष चन्ड खनाप मोहनलाल

ख हुकम


हुकम या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज

नम्बर व
अहकाम
हुकम की
में जारी

जापत्र डोप्याइ निर्ध०

मुंन. - 3/2025

व भयम हाजरी में खारिज किया जाता है। पञ्जावामी
फैसल युमार लेका वाद तडुमाल शाखिल दफ्तर है।


सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)